

ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS
Case No. 600392/16

Date of order of Proceeding
Order or Proceeding With Signature of Presiding Officer
Signature of Parties of pleaders where Necessary

आज आरक्षी केन्द्र ~~जोधपुर~~ के उपनिरीक्षक / सहायक उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक ~~आ.मि.ल. 2011~~ क० 117 द्वारा थाना की ओर से अपराध क० ~~नरसिंह~~ 6/16 अंतर्गत धारा 34 (b) ~~पु.स. 2011~~ 2011 भा० दंड० सं० / अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए० डी० पी० ० ओ० श्री ~~र.स.व.र.~~ उप०।

अभियुक्त / अभियुक्तगण ~~जोधपुर~~ निवासी / निवासीगण ~~जोधपुर~~ राज्य (~~म.प.~~) थाना ~~जोधपुर~~ जिला ~~जोधपुर~~ की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री ~~र.स.व.र.~~ द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा० दंड० सं० / अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द० प्र० सं० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पजीयन आपराधिक पंजी 600392/16 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द० प्र० सं० की धारा 201 के अन्तर्गत प्रार्थना के प्रकाश में अभियुक्तगण एवं वरतावजों को प्रत्यक्ष प्रमाणित किया जाये।

लखनसिंह

चूंकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 34(6) पुलिस अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए ~~दोषसिद्ध~~ रुपये ~~अवमान~~ तक की अवधि के दण्ड एवं 50/- रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया। अर्धदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति..... रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति..... मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरान्त अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate First Class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्धदण्ड की राशि 50/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क 6887 रसीद क 66 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार रचित हो

Judicial Magistrate
Gohad Dist. Bhind (M.P.)
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

लक्ष्मण सिंह